

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र)


क्रमांक 690 / विज्ञापन / भर्ती शाखा / 18

दिनांक 12 / 03 / 18

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुलसचिव कार्यालय स्थापना— || शाखा हेतु एक सहायक ग्रेड-II एवं लेखानियंत्रक कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड-III कुल दो पदों पर एक वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति की जानी है। नियुक्त सहायक ग्रेड-II को रु. 20,000/- एवं सहायक ग्रेड-III को रु. 15000/- प्रतिमाह निश्चित वेतन दिया जावेगा।

आवेदन पत्र, योग्यता, अनुभव व शर्तों से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org पर उपलब्ध है। पूर्ण आवेदन पत्र आवेदन शुल्क (अनारक्षित/अ.पि.व. हेतु रु. 500/- एवं अ.ज.जा./अ.जा. हेतु रु. 250) बैंक ड्राफ्ट के रूप में, कुलसचिव, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर – 482001, मध्यप्रदेश को संबोधित करते हुये, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को देय होगा। अभ्यर्थी साक्षात्कार दिनांक 23/03/2018 दिन शुक्रवार को अपराह्न 3.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में अपने योग्यता एवं अनुभव के समस्त मूल दस्तावेजों सहित साक्षात्कार हेतु उपस्थित होवें।



कुलसचिव

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक 690 / विज्ञापन / भर्ती / 18

दिनांक 12 / 03 / 2018

विज्ञप्ति

इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत गैर-शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की नियुक्ति संविदा आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से की जाना है। संबंधित पद हेतु शैक्षणिक अर्हता, श्रेणीवार पदों की संख्या निम्नानुसार है।

क्र.	पद का नाम	मासिक नियत वेतन	पद संख्या	शैक्षणिक अर्हता
1	सहायक ग्रेड-II	20,000 प्रतिमाह	01	सहायक ग्रेड-II के पद से सेवानिवृत्त
2	सहायक ग्रेड-III	15,000 प्रतिमाह	01	सहायक ग्रेड-II / सहायक ग्रेड-III के पद से सेवानिवृत्त

आवेदन पत्र, योग्यता अनुभव व शर्तों से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org पर उपलब्ध है और उन्हें प्राप्त कर उपयोग किया जा सकता है। सरल क्रमांक 1 एवं 2 तक अंकित पदों के पूर्ण आवेदन पत्र आवेदन शुल्क (अनारक्षित/अ.पि.व. हेतु रूपये 500/- एवं अ.ज.जा./अ.जा. हेतु रूपये 250/-) बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जो कुलसचिव, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को देय हो। अपना आवेदन पत्र कुलसचिव, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाईन, जबलपुर-482001, म.प्र. को संबोधित करते हुये साक्षात्कार दिनांक 23 / 03 / 2018 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 3.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होवें। आवेदन पत्र युक्त लिफाफे के ऊपर उस पद का नाम जिसके लिये आवेदन किया है। अंकित किया जाना चाहिए।

शर्तेः—

- संविदा सहायक ग्रेड-II पद एवं सहायक ग्रेड-III के पद हेतु आवेदक मध्यप्रदेश के किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल/विश्वविद्यालय/शासन द्वारा अनुदानित निकाय से क्रमशः सहायक ग्रेड-II / सहायक ग्रेड-III के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो। इस विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।
- आवेदक अपने मूल दस्तावेज एवं दस्तावेजों की एक प्रमाणित छायाप्रति तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवेदन करते हुए उपयुक्त उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु मान्य किया जायेगा।
- जिस विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है, वह उस विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग के कर्मचारी के नियुक्ति आदेश एवं सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति सलंगन करें।

क्रमांक:.....2

// 2 //

6. साक्षात्कार में आने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
7. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन तक प्रभावशील रहेगा। इस अधिकारी में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति की अवधि प्रथमतः एक वर्ष की होगी। किन्तु आवश्यकतानुसार सेवा में वृद्धि की जा सकेगी, जो एक बार में 6 माह से अधिक नहीं होगी।
9. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। इसके आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जा सकेगा।
10. संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मचारी द्वारा रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। विज्ञापन की शर्तें अनुबंध का अनिवार्य हिस्सा होगी। पेपर क्रय हेतु व्यय संबंधित नियुक्त कर्मचारी द्वारा वहन किया जावेगा।
11. संविदा सेवक को एक माह में एक आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पर अनुशासनिक नियंत्रण रखने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होगा।
13. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में सलंगन होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
14. यदि संविदा अवधि में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के साथ कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनुतोश देय नहीं होगा।
15. किसी भी प्रकार का वाद का कार्यक्षेत्र जबलपुर स्थित न्यायालय होगा।




कुलसचिव

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र)

नियम व शर्तें

1. संविदा सहायक ग्रेड-II एवं सहायक ग्रेड-III के पद हेतु आवेदक मध्यप्रदेश के किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / निगम / मंडल / विश्वविद्यालय / शासन द्वारा अनुदानित निकाय से क्रमशः सहायक ग्रेड-II एवं सहायक ग्रेड-II / सहायक ग्रेड-III के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो। इस विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।
3. आवेदक अपने मूल दस्तावेज एवं दस्तावेजों की एक प्रमाणित छायाप्रति तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवें।
4. साक्षात्कार के पूर्व आवेदन पत्रों का परीक्षण कर उपयुक्त उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु मान्य किया जायेगा।
5. जिस विश्वविद्यालय / शासकीय विभाग से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है, वह उस विश्वविद्यालय / शासकीय विभाग के कर्मचारी के नियुक्ति आदेश एवं सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति सलंग्न करें।
6. साक्षात्कार में आने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
7. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति की अवधि प्रथमतः एक वर्ष की होगी। किन्तु आवश्यकतानुसार सेवा में वृद्धि की जा सकेगी, जो एक बार में 6 माह से अधिक नहीं होगी।
9. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। इसके आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जा सकेगा।
10. संविदा पर नियुक्ति किये गये कर्मचारी द्वारा रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध निश्पादित किया जावेगा। विज्ञापन की शर्ते अनुबंध का अनिवार्य हिस्सा होगी। पेपर क्रय हेतु व्यय संबंधित नियुक्ति कर्मचारी द्वारा वहन किया जावेगा।
11. संविदा सेवक को एक माह में एक आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी पर अनुशासनिक नियंत्रण रखने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होगा।
13. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में सलंग्न होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
14. यदि संविदा अवधि में संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के साथ कोई घटना / दुर्घटना घटित होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनुतोष देय नहीं होगा।
15. किसी भी प्रकार का वाद का कार्यक्षेत्र जबलपुर स्थित न्यायालय होगा।



कुलसचिव

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
सिविल लाइन्स, जबलपुर 482001 (म.प्र.)

आवेदन शुल्क का विवरण	
बैंक ड्राफ्ट क.	
राशि रु.	
दिनांक	

नवीन
छायाचित्र यहाँ
चिपकायें

आवेदन पत्र

पद्म का नाम

विज्ञापन क्रमांक : 1

श्रेणी : (अनारक्षित / अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.व.)
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

1. पुरा नाम :

2. पिता / पति का नाम :

3. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार) :

पिन

4. स्थायी पता :

..... पिन

5. दूरभाष एवं ईमेल : दूरभाष मो. ई-मेल.....

6. जन्म तिथि : दिनांक आयु वर्ष माह

(हाईस्कूल प्रमाण पत्र अनुसार)

7. राष्ट्रीयता :

8. मूल निवासी :

(म.प्र. के मूलनिवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	डिग्री / डिप्लोमा / सार्टिफिकेट	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					

10. छात्रवृत्ति / फैलोशिप या मेडल :

11. अनुभव :

12. सेवा नियुक्ति का विवरण :

पद का नाम	नियोक्ता का नाम एवं पता	नियुक्ति दिनांक	वेतनमान	सेवा में कुल अवधि	कार्यरत/ रिटायर्ड

13. टिप्पणी यदि कोई हो :

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है तथा असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

वर्तमान नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र
(उनके लिये जो शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में हो)

श्री/ श्रीमति/ कु वर्तमान पद
वेतनमान में इस कार्यालय/विभाग में सेवारत हैं।
इनका आवेदन अग्रेषित किया जाता है और यदि इनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जावेगा।

स्थान :

दिनांक :

विभाग/कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(मुहर)